न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, जाति- शर्मा,
निवासी- जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही

2. अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर-3/डी, गांधीनगर - 382006
(नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव-पुन्धरा, तहसील-मानसा, जिला-गांधीनगर(गुज.)

3. वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव-पुन्धरा, तहसील-मानसा, जिला-गांधीनगर(गुज.)
पंजीकृत कार्यालय:- वाडीलाल हाउस, 53, श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009
जरिये नॉमिनी निर्माता फर्म:-
अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर-3/डी, गांधीनगर - 382006

प्रकरण संख्या: 36/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा, अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 26 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.6.2016 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर पँहुचा व वहां विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, जाति- शर्मा, निवासी- जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही है एवं फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड पर आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का विक्रय एवं सप्लाई आम जनता के उपयोग हेतु करता है।

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं गोदाम के कोल्ड स्टोरेज में बिक्री हेतु मौजूद आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 60 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत रुपये 230/- (अक्षरे रुपये दो सौ तीस) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देककर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए, स्टोक ट्रांसफर नोटिस न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के दोनों नमूना पैकेटों को खोलकर एक भिगोने में डाला एवं कमरे के तापमान में आने दिया, इसके बाद पिघली हुई आईसक्रीम में से 1200 ग्राम को चार कांच की साफ सूखी खाली शीशीयों में बराबर-बराबर भरा तथा प्रत्येक शीशी में 24-24 बंदू फार्मेलीन की डालकर शीशीयों के कार्क एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया, चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागम में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-614 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा तेजाराम मेघवाल, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 28.6.2016 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को

.....पेज तीन पर

जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना S-614 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा हुए एवं अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट, चिप्स ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक प्रार्थी को हुआ हो तथा प्रार्थी द्वारा जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूनें प्राप्त किया गया वो विधि अनुसार नहीं किया गया है। आईसक्रीम का सेम्पल विधि अनुसार नही लिया गया व न ही विधिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रार्थी ने दिनांक 28.6.2016 को सेम्पल नमूना भिजवाये जाना लिखा है, जिसकी रिपोर्ट इस मिलना जाहिर किया गया है वह जिसमें आईसक्रीम मिथ्या छाप होना बताया गया है, लेकिन जांच की विलम्ब अवधि में नमूना सेम्पल में मानक स्तर में गिरावट होने के कोई तथ्य नही बताये गये है, ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता था कि जब आईसक्रीम में सेम्पल लिये जाने व वक्त सेम्पल जांच कारित के मध्य काफी दिनों का अन्तर है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया। बिक्री के लिये प्रस्तुत तारीख को आईसक्रीम शुद्ध मानक स्तर की थी और इसी रुप में विक्रय की जा रही थी। आईसक्रीम मिथ्याछाप स्तर की नही थी और बेवजह परेशानी से बचने के लिये शपथ पत्र दिया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का हकदान नही है। अप्रार्थीगण ने कोई अपराध नही किया है और विक्रय हेतु प्रस्तुत आईसक्रीम शुद्ध व मानक स्तर की वाडीलाल कम्पनी

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

की निर्मित थी। प्रार्थी द्वारा विधि अनुसार सेम्पल नही लिया व न ही विधि के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। अविधिक प्रक्रिया के आधार पर की गई कार्यवाही प्रारम्भ से ही दूषित है जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नही होता है और न ही अप्रार्थीगण के कोई अपराध ही कारित किया है और न ही अप्रार्थीगण की ऐसी मंशा ही है। सेम्पल लेने की तारीख व एफ.एस.एल. रिपोर्ट मिलने की तारीख में भी काफी दिनों का अन्तर है तथा विक्रय के लिये उपलब्ध दिन व सेम्पल लिये जाने के दिन प्रस्तुत आईसक्रीम शुद्ध व मानक स्तर की थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नही होने से प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 25.7.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी 189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ में विक्रेता मनीष शर्मा से दिनांक 26.6.2016 को वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकोलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) विक्रय के दिन शुद्ध एवं मानक स्तर का था, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में भी शुद्ध एवं मानक स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही था। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में निर्माता फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित मिल्क फेट की सूचना के आधार पर मिथ्याछाप होना बताया है, अन्य किसी तरह से उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप नही पाया गया है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.6.2016 को 5.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, निवासी- जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले जो फर्म वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड पर खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का विक्रय एवं सप्लाई आम जनता के लिये करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री भंवर पुरी पुत्र श्री गुलाब पुरी, प्लॉट नं. 152, प्रताप नगर, जोधपुर के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मनीष शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त फर्म के गोदाम के कोल्ड स्टोरेज में विक्रय हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 60 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 230/- (अक्षरे रुपये दो सौ तीस मात्र) अदा कर कय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा, उक्त गवाहान एवं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-614, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के दोनों खरीद शुदा नमूना पैकेटो को खोलकर एक भिगोने में डाला व कमरे के तापमान पर आने दिया। इसके बाद पिघली हुई आईसक्रीम में से 1200 ग्राम को चार कांच की साफ सुखी खाली शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 24-24 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-614 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया।

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री तेजाराम मेघवाल, वार्ड बॉय के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 28.6.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-614 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./760/Act/2016/793 दिनांक 06.7.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स वाडीलाल एन्टर प्राईजेज, जी-189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ में खाद्यकारोबारकर्ता/विक्रेता मनीष शर्मा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। जो Regulation No. 2.2.1(3) and 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में श्री मनीष शर्मा, जी-189, अम्बाती इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/3667-69 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति निर्माता फर्म वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड़, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गुजरात को भी प्रेषित की गई है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि अभियुक्त संख्या-1 मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, की फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी-1, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ को उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 700 एम.एल. पैक्ड पैकेटों का निर्माता फर्म वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर ने स्टॉक ट्रांसफर नोटस् इनवॉईस नंम्बर 1000058995 दिनांक 20.6.2016 के द्वारा विक्रय किये/भेजे थे। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) ने मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii)

....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के निर्माण व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म मैसर्स वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) दोषी पाई जाती है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त मनीष शर्मा को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) के नॉमिनी अर्पित डी. पारीख पुत्र श्री दिनेश ए. पारीख, प्लॉट नंबर 1090/2, सेक्टर- 3/डी, गांधीनगर - 382006 को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) पर उक्तानुसार आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

26.07.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही